डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

स्वर्गीय तेजसिंह पुत्र धोकलसिंह के कामु:–

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र तेजसिंह
2. महावीरसिंह पुत्र तेजसिंह
3. भरतसिंह पुत्र तेजसिंह
4. शक्तिसिंह पुत्र तेजसिंह
5. प्रकाशकंवर देवडा पुत्र तेजसिंह
6. सुहाना देवडा पुत्री तेजसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्वर्गीय शंभुसिंह पुत्र धोकलसिंह के कामु
   1/1. अर्जुनसिंह पुत्र शंभुसिंह
   1/2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शंभुसिंह
   1/3. गोविन्दसिंह पुत्र शंभुसिंह
   1/4. स्व. फुलसिंह पुत्र शंभुसिंह के कामु
      1/4/1. इन्द्रसिंह पुत्र फुलसिंह
      1/4/2. खुशबू कंवर पुत्री फुलसिंह
      1/4/3. प्रवीणा कंवर पुत्री फुलसिंह
      1/4/4. अंतरकंवर पत्नी स्व. फुलसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण भागली तहसील बाली
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार तहसील बाली जिला पाली (राज)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/367

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण व उनके अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता श्री अमृतपरिहार उपस्थित। उपस्थित दोनों पक्षों के अधिवक्ता व पक्षकारों ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश कर उक्त वाद को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण लोक अदालत की भावना से माफिक राजीनामा उक्त वाद को डिक्री करने पर सहमत है। प्रस्तुत राजीनामा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

13/04/26

पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त राजीनामा पेश कर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। उपस्थित वादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा की गई। चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में वर्णित अनुसार ग्राम भागली के खसरा नं. 412/468 रकबा 4.30 हैक्टर का विभाजन रजामंदी से कराने को तैयार है तथा उनके अधिवक्तागण भी इस बाबत सहमत है। अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर राजीनामे के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। प्रस्तुत राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावें। निर्णय व डिक्री अनुरूप रेकर्ड में अमल दरामद के लिये TAR बाली व पटवारी हल्का पेरवा को निर्णय प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वादीगण) [signatures]

अर्जुनसिंह, सुरेन्द्रसिंह, उ... प्रवीण कंवर, गोविन्दसिंह (प्रतिवादीगण) [signatures]

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली